फिंगरप्रिंट पर सवालिया निशान

स्कॉटलैण्ड सरकार द्वारा गठित जांच समिति की दिसंबर 2011 की रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट के आधार पर व्यक्ति की पहचान को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह जांच समिति तब गठित की गई थी जब एक जासूस को शपथ लेकर झूठ बोलने के आरोप से मुक्त कर दिया गया था। उसके विरुद्ध एकमात्र सबूत फिंगरप्रिंट का था जो गलत साबित हुआ।

उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में मानवीय त्रुटि ही ज़िम्मेदार थी। समिति की सिफारिश है कि फिंगरप्रिंट विश्लेषकों को व्यक्ति की पहचान सम्बंधी परिणामों के सौ फीसदी सच होने का दावा नहीं करना चाहिए। खास तौर से उन्हें जटिल, धुंधले व अधूरे फिंगरप्रिंट के विश्लेषण की एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जिसमें कम से कम तीन स्वतंत्र जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अपराध वैज्ञानिक दशकों से फिंगरप्रिंट पहचान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। मसलन, यू.के. के स्ट्रेथक्लाइड विश्वविद्यालय के अपराध वैज्ञानिक जिम फ्रेसर ने दुनिया भर के 400 फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों से साक्षात्कार किया तो 80 प्रतिशत ने दावा किया कि फिंगरप्रिंट के आधार पर की गई पहचान विश्वसनीय होती है। मगर हाल के कई मामलों में यह बात सामने आई है कि इस पहचान के बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2009 में लंदन विश्वविद्यालय के इटिएल ड्रोर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसने फिंगरप्रिंट पहचान की कमज़ोरियों की जांच पड़ताल की थी। एक अध्ययन में उन्होंने यह जांचने की कोशिश की थी कि यदि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ को विश्लेषण के दौरान संदिग्ध आरोपी के फिंगरप्रिंट देखने दिए जाएं, तो क्या उनके निर्णय पर असर होता है। समिति ने विभिन्न देशों के 20 फिंगरप्रिंट विश्लेषकों को मौका-ए-वारदात से प्राप्त 10 फिंगरप्रिंट दिए। पांच के साथ संदिग्ध आरोपी के फिंगरप्रिंट भी दिए गए थे। आम तौर पर देखा गया कि आरोपी के फिंगरप्रिंट देखने के बाद उन्हें उनमें कम अंतर नज़र आते हैं। जब यही प्रिंट अन्य 10 विशेषज्ञों को दिखाए गए तो उनके निष्कर्ष एकदम अलग रहे।

समिति ने ऑटोमेटिक पहचान प्रणाली की भी जांच की। यहां भी देखा गया कि सूची में नाम ऊपर-नीचे कर देने भर से भी निष्कर्ष बदल जाते हैं। आम तौर पर ऊपर के नामों में फिंगरप्रिंट मैच होने की संभावना ज़्यादा देखी गई।

समिति के अध्यक्ष ड्रोर का मत है कि उनके द्वारा किए गए अध्ययन फिंगरप्रिंट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उनका मत है कि कम से कम इतना तो किया ही जाना चाहिए कि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ मौका-ए-वारदात से प्राप्त फिंगप्रिंट का विश्लेषण पूरा करने के बाद ही संदिग्ध आरोपी के फिंगरप्रिंट देखे। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विश्लेषण करते समय उसे किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सूचना न दी जाए। ***(स्रोत फीचर्स)***